



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 248 राँची, गुरुवार,

4 मई, 2023 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----  
अधिसूचना

20 मार्च, 2023

**संख्या- 4/स्था.पद.-08-04/2016 का. 1672--** हजारीबाग जिला अन्तर्गत रामनवमी- 2023

के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त, हजारीबाग के अनुरोध के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 30.03.2023 से 01.04.2023 तक हजारीबाग जिला में प्रतिनियुक्त किया जाता है:-

| क्र.सं. | पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक/गृह जिला        | वर्तमान पदस्थापन                    |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| i       | ii                                            | iii                                 |
| 1       | श्री संतोष सिंह<br>94/20, उ०प्रदेश            | जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार      |
| 2       | श्री राजेश कुमार साहू<br>240/20, चतरा         | प्र०वि०पदा०, बहरागोड़ा, पू० सिंहभूम |
| 3       | श्री शैलेश कुमार<br>214/20, गिरिडीह           | सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची    |
| 4       | श्री प्यारे लाल<br>247/20, रामगढ़             | अंचल अधिकारी, सोनाहातु, राँची       |
| 5       | श्री जीतेन्द्र कुमार मण्डल<br>103/20, देवघर   | प्र०वि०पदा०, नौडीहा बाजार, पलामू    |
| 6       | श्री राम रतन कुमार वर्णवाल<br>338/20, गिरिडीह | अंचल अधिकारी, चंदवारा, कोडरमा       |

- II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत हजारीबाग जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।
- III. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 30.03.2023 को उपायुक्त, हजारीबाग के कार्यालय में योगदान सुनिश्चित करेंगे।
- IV. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को ससमय योगदान हेतु अविलम्ब विरमित करने की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।
- V. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, हजारीबाग के द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति के फलस्वरूप विरमित किये जाने के उपरांत अपने धारित पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**ब्रह्मदेव मोदी,**

सरकार के उप सचिव।

-----